न्यायालयः अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, क्रम 2, जयपुर जिला, जयपुर (राज.)

पीठासीन न्यायाधीशः नीतू भारद्वाज , आर.जे.एस. (लिंक अधिकारी)

विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्याः 121/2026 (एनसीवीनम्बर–185/2026)

नरेश कुमार सोनी पुत्र हेमराज सोनी निवासी राय कॉलोनी,बेरियों का बास, बाडमेर पुलिस थाना कोतवाली जिला बाडमेर (राज0)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक।

.....अप्रार्थी

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमीनल अपील नं0 825/2026 जेबा खान बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में प्रदत्त निर्देशों/आदेश के अनुसरण में विवरण :–

एफआईआर नंबर	दिनांक	एफआईआर दर्ज धाराएँ	अधिकतम सजा
32/2019	23.08.2019	406, 409, 420, 467, 468, 471, 120–बी भादसं एवं धारा 65 आईटी एक्ट	आजीवन कारावास

अभियुक्त का विवरण

गिरफतारी दिनांक	निरूद्ध अवधि
19.09.2019	6 वर्ष 9 माह 5 दिन

विचारण का स्तर

प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होकर दिनांक 13.12.2019 को आरोप पत्र पेश किया जा चुका हैं।

आपराधिक रिकार्ड

क्र. सं.	जिला	पुलिस थाना	प्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5-	6
1	झुन्झुनू	उदयपुरवाटी	470/19 दिनांक 21.09.19	420,406 भादस	चालान न 211 दिनांक 13.12.22 धारा 420,406,409 भादस व 65 आईटी एक्ट
2	सिरोही	बरलूट	108 दिनांक 04.11.2014	279, 304(ए)	23 दिनांक 19.11.2014 पेश दिनांक 25.11.2014
3	नागौर	कोतवाली नागौर	444 दिनांक 31.7.23	420,409, आईपीसी व 3/21 बुडस एक्ट	चार्जशीट नम्बर 269 दिनांक 13.12.2025 न्यायालय में चालान पेश दिनांक 2.01.2026
4	जोधपुर ग्रामीण	भोपालगढ	176 दिनांक 10.10.2019	420, 406 भादस	सीएस न. 33 दिनांक 11.04.2022 माननीय न्यायालय में दिनांक 18.04.2022 का पे ा की गई।
5	जोधपुर ग्रामीण	खेड़ापा	203 दिनांक 13.10.2019	420, 406 भादस	सीएस न. 27 दिनांक 21.04.2022 माननीय

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2
जयपुर जिला, जयपुर

					न्यायालय में दिनांक 30.04.2022 को पे ा की गई।
6	फलोदी	देचू	263 दिनांक 11.10.2019	420, 406, 409, 120 बी भादस	सीएस नम्बर 52 / 21.04.2022 कोर्ट मे पेश करने दिनांक 25.04.2022 व दिनांक 02.01.2023 को कन्पलीट चार्जशीट
7	कोटा शहर	दादाबाडी	333 / 20.09.2019	420,406, 120बी भादस	सीएस नम्बर 24 / 10.03.2025 न्यायालय मे पेश दिनांक 24.03.2025
8	कोटा शहर	गुमानपुरा	25 / 09.01.2022	420,406, 120बी भादस	सीएस नम्बर 63 / 24.03.2025 न्यायालय मे पेश दिनांक 02.04.2025
9	कोटा शहर	रेल्वे कोलोनी	407 / 05.12.2020	420,406,465, 467,468,471, 120बी भादस	सीएस नम्बर 22 / 16.02.2022 पेश न्यायालय दिनांक 19.02.2022
10	कोटा शहर	रेल्वे कोलोनी	408 / 05.12.2020	420,406,465, 467,468,471, 120बी भादस	सीएस नम्बर 23 / 16.02.2022 पेश न्यायालय दिनांक 19.02.2022
11	कोटा शहर	रेल्वे कोलोनी	409 / 05.12.2020	420,406,465, 467,468,471, 120बी भादस	सीएस नम्बर 24 / 16.02.2022 पेश न्यायालय दिनांक 19.02.2022
12	कोटा शहर	रेल्वे कोलोनी	410 / 05.12.2020	420,406,465, 467,468,471, 120बी भादस	सीएस नम्बर 26 / 23.02.2022 पेश न्यायालय दिनांक 11.03.2022
13	कोटा शहर	रेल्वे कोलोनी	411 / 05.12.2020	420,406,465, 467,468,471, 120बी भादस	सीएस नम्बर 27 / 23.02.2022 पेश न्यायालय दिनांक 11.03.2022
14	कोटा शहर	रेल्वे कोलोनी	408 / 03.11.2022	420,406,120बी भादस	सीएस नम्बर 43 / 11.03.2025 पेश न्यायालय दिनांक 20.03.2025
15	कोटा शहर	महावीर नगर	479 / 04.11.2020	420,409,467, 468,471, 120 बी भादस	
16	कोटा शहर	महावीर नगर	82 / 04.03.2022	420,406 भादस	
17	अजमेर	रामगंज	447 / 2019 दिनांक 03.10.2019	420,406 भादस	––
18	अजमेर	क्लॉक टॉवर	248 / 2019 कायमी दिनांक 10.10.2019	406,409,420,467, 468, 471,120बी,477ए भा.द.सं.	सीएस नम्बर 92 / 2021 दिनांक 9.5.2021 धारा 406, 409, 420, 120बी भा.द. सं. न्यायालय में पेश दिनांक 10.05.2021
19	अजमेर	कोतवाली	प्रकरण सं 102 / 2022 दिनांक 10.05.	420ए406ए120 भादस	सीएस नं 241 / 2024 दिनांक 25.12.2024

अपर सेशन न्यायाधीश नं–2
जयपुर जिला, जयपुर

			2022		
20	अजमेर	कोतवाली	104 / 2022 दिनांक 10.05. 2022	420 ए ,406,120 बी भादस	सीएस नं 242 / 2024 दिनांक 25.12.2024
21	सीकर	दांतारामगढ	328 / 14.11.19	420,120बी भादस	चार्जशीट नम्बर 128 / 21 दिनांक 28.09.21 धारा 420, 409, 120बी भादस में किता कर दिनांक 01. 10.2021 को माननीय न्यायालय में पेश की जा चुकी हैं।
22	सीकर	दांतारामगढ	328 / 14.11.19	420,120बी भादस	चार्जशीट नम्बर 128 / 21 दिनांक 28.09.21 धारा 420, 409, 120बी भादस में किता कर दिनांक 01. 10.2021 को माननीय न्यायालय में पेश की जा चुकी हैं।
23	भीलवाडा	करेडा	136 / 2023 दिनांक 08.07. 2023	420, 406, 120 बी भादस	145 / 2025 26.12.2025 अभी तक चालान पेश नहीं किया गया
24	जोधपुर	महामंदिर	484 दिनांक 17. 09.2019	धारा 420,406,409, 467, 468, 471, 477ए 120बी भादसं	चालान संख्या 66 दिनांक 01.04.2020
25	जोधपुर	महामंदिर	617 दिनांक 03. 11.2019	धारा 420,406,409 भादस	चालान संख्या 76 दिनांक 08.03.2021
26	जोधपुर	महामंदिर	470 दिनांक 19. 10.2020	धारा 420,406,409,120 बी भादस	चालान संख्या 99 दिनांक 18.03.2021
27	जोधपुर	महामंदिर	146 / 24.03. 2023	धारा 420,406 भादस 3 / 61 द बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम	चार्जशीट सं. मय दिनांक 152/28.05.2025
28	जोधपुर	महामंदिर	181 / 02.04. 2023	धारा 420, 406 भादसं एवं 3 / 21 दबेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिटस्कीम एक्ट 2019	चार्जशीट सं.123 मय दिनांक 05.05.25
29	जोधपुर	मण्डोर	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	रोड नम्बर 87 दिनॉक

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-2
जयपुर जिला, जयपुर

	पुर्व		392 / 20.10. 2019	420,406 भादस	18.08.2021
30	जोधपुर पुर्व	मण्डोर	प्र सं 16 दिनांक 10.01.2021	धारा 420,406,467,468, 471,120 बी भादस	जरिये रोड नम्बर 102 दिनॉक 23.09.2021
32	बालोतरा	सिणधरी	195 / 26.11.2021	420,406,409,120 बी भादसं	चालान नं. 03 / 15.02. 2023 जरिये रोड़ नं. 35 दिनांक 24.02.2023
33	बालोतरा	बालोतरा	510 / 02.10.2021	धारा 420,406,120बी भादस	चालान नं0 100 / 18.07. 2023 रोड नं0 166 / 18.07. 2023
34	बालोतरा	बालोतरा	135 / 04.03.2022	धारा 420,406,120बी भादस	चालान नं0 101 / 19.07. 2023 रोड नं0 173 / 20.07. 2023
35	बालोतरा	बालोतरा	136 / 04.03.2022	धारा 420,406,120बी भादस	चालान नं0 102 / 19.07. 2023 रोड नं0 175 / 24.07. 2023
36	ब्यावर	रायपुर	327 / 28.11.20	धारा 420,406 भादस	–
37	ब्यावर	जैतारण	174 / 25.04. 2023	420,406 भादस	जैर अनुसंधान
38	ब्यावर	जैतारण	174 / 25.04. 2023	420,406 भादस	जैर अनुसंधान
39	ब्यावर	ब्यावर सिटी	मु.नं. 800 / 19 09.09.19	420, 406, 418 ता.हि.	–
40	ब्यावर	ब्यावर सिटी	मु.नं. 202 / 22 01.03.22	420 406 384 504 120बी ताहि	–
41	जोधपुर पश्चिम	बासनी	440 / 17.09.2019	420,406 भादसं	चार्जशीट संख्या / 26. 03.2021 धारा 420,406,120 बी भादसं में दिनांक 29.04.2021 को पेश न्यायालय किया गया।
42	जोधपुर पश्चिम।	भगतकी कोठी	66 / 23.03.2023	420,406 भादसं 21,3 अनियमित जमा योजना प्रतिबन्धीत अधि.	नतीजा चालान संख्या 175 दिनाँक 29.11.2025 धारा 420, 406,409 ,120 बी भा.द.स. व 3 / 21 द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेट डिपोजिट स्कीम दिनांक 24.12.25 पेष न्यायालय किया गया।
43	जोधपुर पश्चिम	देवनगर	08 / 06.01.2020	420,406 भादस	चार्जशीट संख्या 86 / 23. 03.2021, 29.07.2021 को

अपर सैशन न्यायाधीश क्रम–2
जयपुर जिला, जयपुर

					पेश न्यायालय किया गया।
44	जोधपुर पश्चिम	बोरानाडा	290/19	420,406,120बी भादस	चार्जशीट संख्या 13/15.03.2021 को मुर्तिब कर पेश न्यायालय की गई।
45	जोधपुर पश्चिम	झंवर	139/01.10.2019	धारा 420, 406, 409, 120बी भादस	चालान संख्या 25/24.03.2021 को मुर्तिब कर दिनांक 06.04.2021 को पेश न्यायालय की गई।
46	जालोर	सरवाना	553/2019 03.12.2019	420,406 भादस	एफ आर पेष की गयी 29.08.2023

पूर्व में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र

क्र. सं.	न्यायालय	जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	जमानत आदेश दिनांक	आदेश
1	–शून्य–			

बाध्यकारी प्रकियाएँ : गैर जमानती वारंट, उद्घोषित अपराधी का दर्जा

शून्य

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–32/2019 पुलिस थाना चंदवाजी
अपराध अंतर्गत धारा– 420,406,409,467,468,471,120बी भा0दं0सं0 व 65 आईटी एक्ट

उपस्थितः

1–श्री विकास काबरा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2–अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से

:: आदेश :: **दिनांकः 24–06–2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता माननीय सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उक्त जमानत आवेदन न्यायालय अति. सेशन न्यायाधीश, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर को अंतरित किया गया एवं उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय के अवकाश पर होने से हस्तगत जमानत आवेदन मुझ लिंक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई पत्रावली सीगे से तलब कर पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

2. प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नीरज पाठक,अति0पुलिस अधीक्षक,एस0ओ0जी0 युनिट उदयपुर एवं अति0 महानिदेशक, पुलिस ए0टी0एस0 एवं एस0ओ0जी0 राजस्थान जयपुर के समक्ष संजीवनी क्रेडिट

24.6.26
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2
जयपुर जिला, जयपुर

कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा निवेशकों के हितों की सुरक्षा के विपरीत कार्य करने के संबंध में परिवाद पेश होने पर उनके द्वारा जांच की गयी व जांच के उपरांत इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी कि संजीवनी केडिट को– ऑपरेटिव सोसायटी लि0 द्वारा सुनिश्चित षडयंत्र के तहत संजीवनी क्रेडिट को– ऑपरेटिव सोसायटी लि0 के निवेशक सदस्यों (मताधिकार एवं बिना मताधिकार वाले) से प्राप्त निवेश धन को जायज तरीके से जारी ऋणों के साथ–साथ बोगस तरीके से भी दस्तावेजो की कूटरचना एवं उपयोग किये जा रहे सोफटवेयर में बदनियति से Alteration करते हुये फर्जी तरीके से ऋण दर्शित कर उपलब्ध ऋण राशि का संजीवनी ग्रुप की कम्पनियों में MSCS Act 2002 के विभिन्न प्रावधानों की अवहेलना करते हये उपयोग किया जाना आरम्भ किया। निवेशक सदस्यो को लगातार आकर्षक योजनाओं जिनमें ब्याज दर बाजोर ब्याज दर से काफी ऊंचा रखते हैं, में आकर्षित करते हुये परिपक्वता भुगतानों को लगातार अधिकांश समय पुनःनिवेशित (Reinvestment) करवाया गया एवं आवश्यकता पड़ने पर परिपक्वता भुगतान नए प्राप्त निवेश धन से किया गया। संजीवनी क्रेडिट को–आपरेटिव सोसायटी लि0 को लगातार लाभ में दर्शित करने के लिये ऋणों पर ब्याज दर को भी काफी उच्च 32 प्रतिशत तक रखा जाकर विगत करीब 10 वर्षो से PONZI SCHEME का संचालन किया। चूंकि संजीवनी क्रेडिट कॉ– ऑपरेटिव सोसायटी लि0 की निवेश योजनाओं एवं ऋण योजनाओं दोनों पर ब्याज दर बाजार ब्याज दर से काफी अधिक थी। संजीवनी केडिट कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी लि0 को एक धोखे के तहत आकर्षक लाभ में दर्शित किया गया जिससे निवेशक इससे लगातार आकर्षित होकर लगातार निवेशित रहे। ऋणों की ब्याज दर अत्यधिक होने से अधिकांश ऋण बोगस तरीके से दर्शित किये गये एवं उनकी परिपक्वता पर लगातार आरम्भ से ही उन्हें नए ऋणों में बोगस तरीके से ही कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लगातार परिवर्तित किया है एवं निवेशकों का धन संजीवनी ग्रुप की कम्पनियों में MSCS Act,2002 के प्रावधानों के खिलाफ विधि विरूद्ध रूप से नियोजित किया है। अब तक के अनुसंधान से उक्त कार्य की अंजाम देने के लिये 33 वर्चुअल शाखाओं के जरिये करीब 60,000 फर्जी ऋण आवेदन पत्रों को तैयार किया है एवं करीब 30 लाख फर्जी दस्तावेज तैयार कर 1100 करोड के ऋणों को फर्जी तौर पर लेखा पुस्तकों में दर्शित किया है। सोसायटी में कुल 2,14,472 निवेशकों का 883.88 करोड रूपये का निवेश किया हुआ था। निवेशकों को 16.32 करोड रूपये की राशि परिपक्व हो चुकी थी। दिनांक 01.06.2019 तक सोसायटी ने किसी भी निवेशक को किसी प्रकार भुगतान नहीं किया गया ओर उनकी ऋण प्रकिया में भारी वित्तीय अनियमितता सामने आई है......आदि।''

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना एस.ओ.जी. द्वारा प्रकरण संख्या 32/19 अंतर्गत धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120 बी भा.दं.सं. एवं धारा 65

अपर सैशन न्यायाधीश क्रम–2
जयपुर जिला, जयपुर

आई.टी. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया और दौराने अनुसंधान अभियुक्त को प्रकरण में दिनांक 19.09.2019 को गिरफतार किया गया तत्पश्चात् अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03–06–2026 द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास काबरा ने जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया हैं कि हस्तगत प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त शैतान सिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है तथा प्रार्थी की भूमिका शैतान सिंह के समान या उससे कम है। अतः समानता के सिद्धांत के आधार पर प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे। उनका यह भी कहना है कि एक अन्य सह आरोपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है एवं प्रार्थी की भूमिका गंभीर अथवा भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत "संजय चंद्रा बनाम सी.बी.आई, एआईआर 2012 एससी 830" में प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया। उनका यह भी कहना है कि प्रार्थी संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी में मात्र एक वेतनभोगी कर्मचारी था । प्रार्थी से कोई बरामदगी शेष नहीं है, विचारण में समय लगने की संभावना है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19–02–2019 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में प्रथम आरोप पत्र में ही 97 गवाह और 320 दस्तावेज सूचीबद्ध है जिससे प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अभियुक्त की ओर से न्यायिक दृष्टांत "यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए.नजीब (2021) 3 एससीसी 713" का अवलंब लेते हुए प्रकरण के विचारण में समय लगने के आधार पर जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार कर जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के छल कारित कर करोड़ो रूपये के हेराफेरी, कूटरचित दस्तावेजों की रचना व उक्त दस्तावेजों को कूटरचित जानते हुए असल के रूप में प्रयोग करने के गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप हैं। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो जाने मात्र से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती हैं। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2
जयपुर जिला, जयपुर

6. प्रार्थना पत्र के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471, 477ए, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 65 आई0टी0एक्ट के अपराध हेतु आरोप पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया जा चुका हैं। जो वर्तमान में बहस प्रार्थनापत्र के प्रक्रम पर लंबित हैं। इस प्रकार पत्रावली पर संलग्न आपराधिक रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 46 आपराधिक प्रकरण इसी प्रकार के अपराधों के दर्शित किए गए हैं।

7. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मौजूद तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त नरेश सोनी ने संबंधित केडिट कोपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष पर रहते हुए करी 47.73 करोड, 46.13 करोड, 28.13 करोड, 34.78 करोड, 51.96 करोड, 36.26 करोड, 05.33 करोड के ऋण स्वीकृत किए हैं तथा ऋण कमेटी में सदस्य रहते हुए प्रार्थी/अभियुक्त ने करीब 2,98,00000/– रूपये, 70400000/– रूपये, 8,99,00000/ – रूपये, 233900000/–रूपये, 196504350/ – रूपये, 88685351/ – रूपये, 196504350/ –रूपये, 88685351/–रूपये, 181521474/– रूपये, 74135299/ –रूपये, 63450000/–रूपये, 242550000/– रूपये, 217200000/–रूपये, 2200000/–रूपये, 50635000/ –रूपये, 250350000/–रूपये, 119850000/– रूपये, 138300000/ –रूपये, 168200000/–रूपये, 194400000/– रूपये, 203472860/ – रूपये, 228630860/–रूपये, 228630860/–रूपये, 231211840/ – रूपये, 256192950/– रूपये, 247042950/– रूपये, 136539245/–रूपये, 261778155/–रूपये, 162844460/–रूपये, 229977040/– रूपये के ऋण स्वीकृत किया जाना प्रकट किया गया है । उक्त ऋण सुनियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत स्वीकृत किया जाना प्रकट किया गया है, जबकि वर्चुयल शाखाओं के ऋण ऋणियों को प्राप्त ही नहीं हुए है।

8. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि अन्य सहअभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं जिससे प्रार्थी/अभियुक्त को भी जमानत का लाभ प्रदान किया जावें, इस संबंध में न्यायालय का मत हैं कि जिन अभियुक्तगण को माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया तो उक्त सभी प्रार्थी/अभियुक्तगण का मामला अन्य सहअभियुक्त के समान नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फर्जी दस्तावेजों की कूटरचना कर छल कारित करने के आशय से उनका असल के रूप में प्रयोग कर आमजन को बेईमानीपूर्वक आशय से प्रवंचित कर लगभग 1100/–करोड़ रूपये की राशि हड़प करने के गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप हैं। प्रकरण में मात्र आरोप

अपर सैशन न्यायाधीश क्रम–2
जयपुर जिला, जयपुर

पत्र पेश होने से अपराध की गंभीरता कम होना नहीं माना जा सकता। प्रार्थी को कंपनी का अध्यक्ष एवं सदस्य होना प्रकट किया गया है, जिसका कोई खण्डन विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीर प्रकृति एवं आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए प्राथी/अभियुक्त अमरसिंह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

9. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त नरेश सोनी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

(नीतू भारद्वाज)
(लिंक अधिकारी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर

10. आदेश आज दिनांक **24–06–2026** को विवृत न्यायालय में प्रसारित किया गया।

(नीतू भारद्वाज)
(लिंक अधिकारी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर